Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-109/2023]
Md. Sajid & Ors.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	06.5.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-12/2023-24 में दिनांक-30.5.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
किशनगंज	टेउसा/ 39	248	299,374,375,376,377,378, 379,380,441,1150,1152,1206 ,1250,1252,1253,1251,209	7 एकड़ 98 डीसमील
		249	1683,1684	

दिनांक 04.5.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन वजीफन के नाम से खतियान में दर्ज है। तथा यह कि वजीफन का पहला विवाह खुर्दम अली से हुआ, लेकिन खुर्दम अली की मृत्यु बिना किसी वारिस के ही हो गई। जिसके उपरान्त वजीफन का विवाह आजम अली से हुआ, जिससे उनको तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां हुई। उनका कहना है कि विपक्षी के द्वारा गलत एवं फर्जी तरीके से उनके खानदानी जमीन पर दावा किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से अंचल अधिकारी, किशनगंज के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। जो गलत है। उनका कहना है कि निबंधित केवाला सं.-3551/1979 में विपक्षी सं.-02 के पिता कलीमुद्दीन उर्फ टेंगनू मियां के पिता का नाम रहम अली दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं.-02 के पिता स्व. कलीमुद्दीन किसी भी प्रकार से खतियानी रैयत/पति से संबंधित नहीं रहे हैं। अपीलार्थी की ओर से तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं.-02 का कहना है कि खतियानी रैयत के जीवन-काल में सिर्फ एक पति खुर्दम अली उर्फ रहम अली हुए, जिनसे उन्हें एक पुत्र कलीमुद्दीन हुआ। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा किसी अन्य वजीफन का जिक्र करते हुए प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। तदनुसार विपक्षी सं.-02 की ओर से निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं.-03 का कहना है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत द्वारा अपने जीवन काल में दो शादियां की गई। पहले पति खुर्दम अली बिना किसी वारिस के मर गये। जिसके

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	06.5.2026	उपरान्त वजीफन की दूसरी शादी खुर्दम अली के छोटे भाई आजम अली से हुआ। उनका कहना है कि विपक्षी सं.-02 का कोई संबंध खतियानी रैयत से नहीं रहा है। फिर भी विपक्षी सं.-02 के द्वारा गलत तरीके से प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान मु. वजीफा पति खुरदम अली के नाम से दर्ज है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी खतियानधारी के नाम से ही दर्ज है। कागजातों में संदर्भित खतियानधारी के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं किशनगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में वजीफन के पति के रूप में आजम अली का नाम अंकित है। जिससे यह मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानधारी के पति का नाम आजम अली था। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी सं.-02 के पिता कलीमुद्दीन उर्फ टेंगनू मियां से संबंधित निबंधित केवाला सं. -3551/1979 में कलीमुद्दीन के पिता का नाम रहम अली होने बिन्दु उठाया गया है। जिसके संबंध में विपक्षी की ओर से सुनवाई में कोई यथोचित जवाब नहीं दिया जा सका है। सुनवाई में विपक्षी सं.-02 की ओर से अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में विपक्षी सं.-2 की ओर से उनके पिता स्व. कलीमुद्दीन के खतियानी रैयत वजीफन का पुत्र रहने का कोई अकाट्य साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज) के स्तर से उपरोक्त तथ्यों तथा साक्ष्यों को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश (30.5.2023) पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही निम्न न्यायालय के निरस्त अपीलाधीन आदेश (30.5. 2023) के आलोक में अंचल कार्यालय, किशनगंज के स्तर से की गई किसी भी कार्रवाई को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, किशनगंज को अनुपालन हेतु भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 06/5/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 06/5/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	